सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष, 1938 (श०)

संख्या- 86 राँची, सोमवार,

9 जनवरी, 2017 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर, 2016

विषयः- झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निःशुल्क हस्तांतरण के लिए विभागीय संकल्प सं०-1126/रा०, दिनांक-20 मार्च, 2015 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रदत्त शक्ति को संशोधित करते हुए उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

संख्या-4/स०भू०हजा०-202/16-6441/रा०,-- झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (**NHDP**) अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) द्वारा कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निजी स्वामित्व भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-**1956** के अन्तर्गत किया जाता है । निजी स्वामित्व की भूमि के अतिरिक्त राज्य सरकार के स्वामित्व के भूमि की अवश्यकता भी होती है ।

2. देखा जा रहा है कि झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) को शीघ्र उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि प्रदेश में चलाई जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) के योजनाओं/परियोजनाओं का ससमय प्रारंभ होने एवं त्वरित रूप से क्रियान्वयन के लिए भूमि का शीघ्र हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है ।

3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **4 अक्टूबर, 2016,** के मद सं०**-02** में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र सं०**-1245/**रा०, दिनांक **6 मई**, **2010** को संशोधित करते हुए विभागीय संकल्प सं०**-5504/**रा०, दिनांक **7 अक्टूबर**, **2016** द्वारा अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त के स्थान पर उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी है ।

4. मंत्रिपरिषद द्वारा केवल अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की शक्तियाँ उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

उपर्युक्त निर्णय के सदृश **NHAI** को सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण त्वरित गति से होने के लिए संबंधित उपायुक्त को मामले का निस्तार की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :-

"झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के स्वामित्व की सरकारी भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) को निःशुल्क हस्तांतरण के लिए विभागीय संकल्प सं०**-1126/**रा०, दिनांक **20 मार्च**, **2015** द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रदत्त शक्ति को संशोधित करते हुए उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धर्मेन्द्र पाण्डेय,
सरकार के विशेष सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 86--50